एक दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्त्री अध्ययन विभाग महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा(महाराष्ट्र) एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त तत्वाधान में03 अक्टूबर 2015 शनिवार को हबीब तनवीर सभागार में "मानवाधिकार पर एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र के द्वारा की गयी.कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. सुप्रिया पाठक के स्वागत वक्तव्य से हुई .उन्होंने मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरुरत व आधारभूत मानवीय अधिकारों, जेंडर संवेदनशीलता की समझ व कार्यक्रम में आये हुए अतिथि वक्ताओं से सभी सहभागियों को परिचित कराया. डॉ. अवन्तिका शुक्ला ने कार्यक्रम का संचालन किया और कार्यक्रम की रूप-रेखा के साथ ही सत्रों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी.

कार्यशाला के प्रथम सत्र में "मानवाधिकार का परिचय" विषय पर व्याख्यान हुआ. इस सत्र के मुख्य वक्ता कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र थे. उन्होंने मानवाधिकार की संवैधानिकता की बात करते हुए बताया की प्राचीनकाल से ही मानव-अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा रहा है. उन्होंने वर्तमान सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक विभेदीकरण की बात करते हुए आदिवासियों, महिलाओं, दलितों को मानवाधिकार की ओर हम सभी का ध्यान आकृष्ट किया है. उन्होंने आगे बताया की अभी तक जहां पर मानवाधिकार नही दिया गया है वहां यह अधिकार दिया जाये और जहां दिया जा चूका है वहां मानवाधिकार की स्थिति को देखा जाये.

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में "भारत में मानवाधिकार संस्थाएं" के मुख्य वक्ता प्रतिकुलपति प्रो. चितरंजन मिश्र थे. उन्होंने मानवाधिकार की व्यवहारिकता व वर्तमान समय में समाज में हो रहे संघर्ष के रूप को बताया जैसे – दादरी की घटना का जिक्र करते हुए खाने के मौलिक अधिकार के हनन को गंभीर चिंता का विषय बताया.

उन्होंने कहा की अपने अधिकारों की रक्षा करना असली मानवाधिकार नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना ही असली मानवाधिकार है. जब तक राज्य मशीनरी और सामाजिक संस्थाओं में लोकतान्त्रिक मूल्यों का प्रसार नहीं होता तब तक मानवाधिकार की रक्षा नहीं हो सकती. इसलिए मानवाधिकार की रक्षा के लिए समाज में लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रसार पर जोर दिया जाना चाहिए. उन्होंने डॉ. लोहिया जी के धारा 144 संबंधी विचार को बताया. तथा लोहिया जी के विचार "एक समान दवाई, एक समान पढाई" पर जोर देते हुए एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता बतायी.

कार्यक्रम के तीसरे सत्र में "महिला एवं बच्चों के मानवाधिकार" विषय की मुख्य वक्ता प्रो. इलीना सेन थी. उन्होंने फ्रांस की क्रांति से अपनी बात शुरू करते हुए जेंडर आधारित हिंसा पर हम सभी को अवगत कराया, इन्होने बंग्ला भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा में समानता जबकि हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर विभेदीकरण के मौजूद होने की

बात कही. इन्होने धर्म,जाति और सामाजिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं और बच्चों पर की जा रही हिंसा की बात के साथ ही दहेज़ जैसी समस्याओं को बताया जोकी पहले उच्च वर्ग में थी जो आज संस्कृतिकरण के माध्यम से निम्न वर्ग में भी प्रचलित हो गयी, जिससे की महिलाओं की हिंसा को बढ़ावा मिला. इसके साथ-साथ इन्होने धर्म बी खाप पंचायतों के माध्यम से महिलाओं पर हो रही हिंसा के बारे में हम सभी को अवगत कराया. इन्होने बताया की राज्य जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो पीछे हट जाता है. शाहबानों का मामला और मथुरा केस का जिक्र करते हुए न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया.

चतुर्थ सत्र में “अन्य कमजोर वर्गों के मानवाधिकार” विषय के मुख्य वक्ता सुरेश खैरनार “सामाजिक कार्यकर्ता” थे. जिन्होंने बताया की मानवाधिकार हनन का मामला हमारे ही देश का ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण विश्व का मामला है. वर्तमान समय में मानवाधिकार आन्दोलन की सख्त जरुरत पर जोर दिया. उन्होंने उत्तर-पूर्व कश्मीर,

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सीरिया, इराक, गाजा पट्टी आदि देश-विदेश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन विषय पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया. खैरनार जी ने अलग-अलग प्रदेशों में किये जा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का जिक्र करते हुए उनकी वास्तविकता से परिचित कराया.